न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 169/2023

1. मदन मोहन
2. यादराम
3. गुरूदयाल सिंह
4. रामगोपाल पिसरान ग्यासी जाति जाटव निवासी ग्राम खैरावा तहसील पहाडी राज0
5. लच्छो पुत्री ग्यासी जाति जाटव निवासी ग्राम खैरावा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :– 22/05/2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 205/0.25, 302/0.24, 304/0.10, 334/0.08, 499/0.16, 504/0.14 हैक्टर किता–6 रकबा 0.97 हैक्टर बांके ग्राम चानिया खुर्द एवं खसरा नम्बर 498/0.38, 583/0.08, 640/0.01, 641/0.70, 1172/0.15, 1191/0.48, 1194/0.03, 1201/0.17, 1202/0.08, 1208/0.44, 190/0.26, 197/0.31, 40/0.01, 41/0.05 हैक्टर बांके ग्राम खैरावा तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया पिता ग्यासी की कब्जे काश्त की आराजी थी जिस पर पिता वादीगण ने अपने संपूर्ण जीवन काल तक वहैसियत खातेदार के रूप में काश्त की एवं पिता ग्यासी की फौती के बाद से उसके वारिसान वादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड काबिज काश्त है। मौके पर वादीगण का कब्जा है इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जो कि धारा 16 के तहत नहीं आती है। आराजी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के बुजुर्गान की पट्टेदारी का रकबा था जिसे कानूनन रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था लेकिन आज भी वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है ।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 09/05/2024 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के पिता ग्यासी की पट्टेदारी की आराजी थी । अब वादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है । मुताबिक कानून वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी बाबत वादीगण अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार/पट्टेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3 :– दादरसी ।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 गुरूदयाल सिंह, पी0डब्लू0 2 मदन मोहन के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी एवं नकल खसरा गिरावरी व मिलान क्षेत्रफल पेश किये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। विवादित आराजी बांके ग्राम खैरावा व चानिया खुर्द तहसील पहाडी में स्थित है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड अनुसार आराजी पूर्व में वादीगण के बुजुर्गान की कब्जे काश्त की आराजी रही है। उसके उपरान्त वादीगण उक्त आराजी पर गैरखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार पहाडी के जबाब के

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक आराजी वादीगण के बुजुर्गान की गैरखातेदारी/पट्टेदारी की आराजी थी। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी बाबत वादीगण अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार/ पट्टेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है और आज भी विवादित आराजी पर वादीगण का ही मुताबिक हिस्सा कब्जा है। दावे के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2007 (1) पेज संख्या 599 पेश की है। इसमें राजस्थान काश्तकार अधिनियम 2015 धारा 15 ए 230 खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना । यदि किसी मामले में व्यक्ति का नाम अधिनियम के लागू होने के समय जमाबन्दी के खातेदार उपखातेदार या मौरोसी खातेदार के रूप दर्ज है तो वह धारा 15 ए (3) के अन्तर्गत स्वतः खातेदार अधिकार प्राप्त कर लेगा अतः वादीगण को आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के कानूनन अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 205/0.25, 302/0.24, 304/0.10, 334/0.08, 499/0.16, 504/0.14 हैक्टर किता–6 रकबा 0.97 हैक्टर बांके ग्राम चानिया खुर्द एवं खसरा नम्बर 498/0.38, 583/0.08, 640/0.01, 641/0.70, 1172/0.15, 1191/0.48, 1194/0.03, 1201/0.17, 1202/0.08, 1208/0.44, 190/0.26, 197/0.31, 40/0.01, 41/0.05 हैक्टर बांके ग्राम खैरावा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार/पट्टेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे पट्टेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग).

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी (डीग) (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 169/2023

1. मदन मोहन
2. यादराम
3. गुरूदयाल सिंह
4. रामगोपाल पिसरान ग्यासी जाति जाटव निवासी ग्राम खैरावा तहसील पहाडी राज0
5. लच्छो पुत्री ग्यासी जाति जाटव निवासी ग्राम खैरावा तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 205/0.25, 302/0.24, 304/0.10, 334/0.08, 499/0.16, 504/0.14 हैक्टर किता–6 रकबा 0.97 हैक्टर बांके ग्राम चानिया खुर्द एवं खसरा नम्बर 498/0.38, 583/0.08, 640/0.01, 641/0.70, 1172/0.15, 1191/0.48, 1194/0.03, 1201/0.17, 1202/0.08, 1208/0.44, 190/0.26, 197/0.31, 40/0.01, 41/0.05 हैक्टर बांके ग्राम खैरावा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार/पट्टेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे पट्टेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X . .....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/05 सन् 2024 को जारी की गई ।

दस्तखत .....

ओहदा .....

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

मुहर

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	.....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	.....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक ...		
मीजान	.....	4.00		मीजान		

Scanned with OKEN Scanner